फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भगा **विपक्षी : श्री रोडीलाल**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 12/23**

जीसीएमएस : 2023/37

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 20.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की पूर्व में एकतरफा बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। वाद पत्र के अवलोकन से वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थी व विपक्षीगण सहखातेदार हैं। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई हैं। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण मौके पर कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते है इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा धारा 53, 188 रा.का.अ के तहत् वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रारम्भिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये जा चुके हैं। प्रकरण दिनांक 19.01.2023 से विचाराधीन हैं परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करते हो या वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो। ऐसी स्थिति में सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2024.12.18 16:49:26 IST Reason: SelfAttested	